भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 164
06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

परिवार नियोजन कार्यक्रम

164. श्री गिरिधारी यादव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य और शिक्षा का मौलिक अधिकार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या 50 वर्षों से लगातार परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद कोई प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं होने के कारण देश जनसंख्या विस्फोट के कगार पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का अधिकतम दो बच्चों की सीमा के साथ जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

06 दिसंबर, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 164 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): संविधान (86वें संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में अन्तर्स्थापित अनुच्छेद 21-क के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 यह अधिदेश करता है कि 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक नजदीकी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यकलापों के माध्यम से सभी आयु समूहों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देता है।

(ख) से (ङ): एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार भारत ने 2.0 की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) हासिल की है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुरूप है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय माँ और बच्चे के कल्याण के लिए सही समय पर गर्भधारण और अंतराल के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके और प्रजनन क्षमता के प्रबंधन के लिए राज्यों द्वारा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्रस्तावित बजट को मंजूरी देकर प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाएँ निम्नवत हैं-

i. विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प, जिसमें कंडोम, खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियाँ, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी) और नसबंदी शामिल हैं, लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। गर्भनिरोधक सामग्रियों को नए गर्भनिरोधकों अर्थात् इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम) और सेंटक्रोमन (छाया) को शामिल कर विस्तारित किया गया है।
ii. मिशन परिवार विकास को सात उच्च फोकस राज्यों और छह पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया है, ताकि गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच में सुधार हो सके।
iii. नसबंदी स्वीकार करने वालों के लिए मुआवज़ा योजना में लाभार्थियों को उनके वेतन के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है।
iv. लाभार्थियों को प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीपीआईयूसीडी), गर्भपातोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीएआईयूसीडी) और प्रसवोत्तर नसबंदी

(पीपीएस) के रूप में गर्भावस्था के बाद गर्भनिरोधक प्रदान किया जाता है।

v. सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में परिवार नियोजन और सेवा वितरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 'विश्व जनसंख्या दिवस अभियान' और 'पुरुष नसबंदी पखवाड़ा' मनाया जाता है।

vi. आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भनिरोधकों की घर-घर डिलीवरी योजना।

vii. स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन सामग्रियों के प्रबंधन के लिए परिवार नियोजन लॉजिस्टिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपी-एलएमआईएस) लागू है।

******